सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग प्रसार को बढ़ावा देने के लिए लागू विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं:-

भारत सरकार की नीति एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार रेलों के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के उदेश्य से विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं लागू हैं/इन प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अखिल रेल राजभाषा सप्ताह समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की योजनाएं – Incentive Schemes of the Ministry of Railways (Railway Board)

क्रम सं	पुरस्कार	विवरण	राशि	पुरस्कारों की संख्या
1.	**कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक**	हिन्दी के प्रयोग-प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए रेलों/उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों के लिए		1
2.	**रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक**	हिन्दी के प्रयोग-प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए रेलों/उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के लिए		10
3.	**रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्राफी तथा अन्य वैजयंतियां**			
		3.1 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित रेलों के लिए	प्रथम पुरस्कार- रेल मंत्री राजभाषा शील्ड	1
			द्वितीय पुरस्कार- रेलमंत्री राजभाषा ट्राफी	1
		3.2 'ग' क्षेत्र में स्थित रेलों के लिए	प्रथम पुरस्कार- रेल मंत्री राजभाषा शील्ड	1
			द्वितीय पुरस्कार- रेल मंत्री राजभाषा ट्राफी	1
		3.3 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित आदर्श मंडलों के लिए	आचार्य महावीर प्रसाद चल वैजयंती	1
		3.4 'ग' क्षेत्र में स्थित आदर्श मंडल के लिए	आचार्य रघुवीर चल वैजयंती	1
		3.5 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित स्टेशन/कार्यालय/वर्कशाप के लिए	रेल मंत्री रा.भा.शील्ड +7000 रु.नकद	1

12.	**अखिल भारतीय रेल नाट्योत्सव** (रे.बो.पत्र.दिनांक-08.12.14)	क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में चुने गए प्रथम नाटक को शामिल किया जाता है। प्रथम पुरस्कार — ट्राफी+5000 रु.नकद पुरस्कार (एक) द्वितीय पुरस्कार — ट्राफी+4000 रु.नकद पुरस्कार (एक) तृतीय पुरस्कार — ट्राफी+3000 रु.नकद पुरस्कार (एक) प्रेरणा पुरस्कार — स्मृति चिन्ह+1000 रु.नकद पुरस्कार(पाँच) विभिन्न विधाओं में चुने गए सर्वश्रेष्ठ 15 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है। नकद पुरस्कार(प्रत्येक के)1000रु.+ स्मृति चिन्ह	15
13.	**हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना** (रे.बो.पत्र.दिनांक-26.06.2008)	(क) हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए प्रथम पुरस्कार — 9000 रु. द्वितीय पुरस्कार — 6000 रु. तृतीय पुरस्कार — 4000 रु. (ख) हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले रेलवे बोर्ड के निदेशालय के लिए प्रथम पुरस्कार- आचार्य किशोरीदास चल वैजयंती + 9000 रु.नकद द्वितीय पुरस्कार- रेल मंत्री रा.भा.शिल्ड +6000 रु.नकद तृतीय पुरस्कार- रेल मंत्री रा.भा.शिल्ड +4000 रु.नकद	 1 1 1 1 1 1
14.	**रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना** (रे.बो.पत्र.दिनांक-20.09.2017)	इस योजना में सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं, वृत्तांत कम से कम 3000 शब्दों का हो। प्रथम पुरस्कार — 10000 रु. द्वितीय पुरस्कार — 8000 रु. तृतीय पुरस्कार — 6000 रु.	

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की योजना

15.	**इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार योजना** (सरकारी कार्यालयों के कार्यप्रबंधन विषय संबंधित पुस्तक)	हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रथम पुरस्कार-60,000/- द्वितीय पुरस्कार-45,000/- तृतीय पुरस्कार-30,000/- सांत्वना पुरस्कार-15,000/-	 1 1 1 1

16.	**हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना** (रे.बो.पत्र.दिनांक-22.12.2016)	हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन करने के लिए. हिंदी भाषी अधिकारियों द्वारा वर्ष भर कम से कम 20000 शब्दों का डिक्टेशन अहिंदी भाषी अधिकारियों द्वारा वर्ष भर कम से कम 10000 शब्दों का डिक्टेशन		
		जिन अधिकारियों का घोषित निवास स्थान 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में हो	5000/-	1
		जिन अधिकारियों का घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो	5000/-	1
17.	**सरकारी काम-काज (टिप्पण/प्रारूप लेखन)मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार योजना।** इस योजना में 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में कम से कम 20000 शब्द तथा ग क्षेत्र में कम से कम 10000 शब्द मूल रूप से टिप्पण और प्रारूप आदि के रूप में लिखने हैं (रे.बो.पत्र.दिनांक-20.12.2016)	(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:		
		प्रथम पुरस्कार -	5,000/-	2
		द्वितीय पुरस्कार-	3,000/-	3
		तृतीय पुरस्कार-	2,000/-	5
		(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:		
		प्रथम पुरस्कार-	5,000/-	2
		द्वितीय पुरस्कार-	3,000/-	3
		तृतीय पुरस्कार-	2,000/-	5
18.	**टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की पुरस्कार भत्ता योजना** इस योजना में वह टाइपिस्ट/आशुलिपिक भाग लेने के पात्र है जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा 5 पत्र/टिप्पणियां प्रतिदिन अथवा 300 पत्र/प्रारूप/टिप्पणियां प्रति तिमाही हिंदी में टाइप करते हैं। (रे.बो.पत्र.दिनांक-20.06.2014)	आशुलिपिक	240/-	
		टाइपिस्ट	160/-	

19. **राजभाषा गौरव पुरस्कार-**

1.केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

पात्रता/शर्तें :

(i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हों।

(ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें।

पुरस्कारः

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः

प्रथम पुरस्कार - ...1,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

द्वितीय पुरस्कार - ...75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

तृतीय पुरस्कार - ...60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

प्रोत्साहन पुरस्कार - ...30,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

2. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

विषयः पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है। उदाहरणार्थ:-

(i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।

(ii) समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि।

पात्रताः भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

पुरस्कारः

प्रथम पुरस्कार (एक) - ....2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

द्वितीय पुरस्कार (एक) - ...1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

तृतीय पुरस्कार (एक) - ... 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

प्रोत्साहन पुरस्कार (दस) - ...10,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को

***राजभाषा हिंदी संस्कृति विषयक मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (संस्कृति मंत्रालय)**-www.indiaculture.com

***पृथ्वी विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना** (Ministry of Earth Science)-www.moes.gov.in/content/circulars

राशिः- प्रथम-1,00,000/- द्वितीय-60,000/- तृतीय-40,000/- सांत्वना-20,000/-

हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

वैयक्तिक वेतन

1.कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अहिन्दीभाषी समूह ग एवं ऊपर वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को 12 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन का लाभ मिलेगा।

2.हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अंग्रेजी टंककों को 12 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन का लाभ मिलेगा।

3.हिन्दी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अहिन्दीभाषी अंग्रेजी आशुलिपिकों को प्रथम वर्ष 2 वेतन वृद्धि के बराबर एवं द्वितीय वर्ष एक वेतन वृद्धि के समाहित हो जाने पर द्वितीय वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हिन्दी भाषी अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 12 महीनों के लिए केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन का लाभ मिलेगा।

मेरिट नकद पुरस्कार

(प्राधिकार:रेलवे बोर्ड का पत्र सं.हिन्दी-2007/प्र.-10/11 दिनांक 04.10.2011)

हिन्दी प्रबोध परीक्षा

प्राप्तांक का प्रतिशत	पुरस्कार राशि
55-59%	400/-
60-69%	800/-
70-100%	1600/-

हिन्दी प्रवीण परीक्षा

प्राप्तांक का प्रतिशत	पुरस्कार राशि
55-59%	600/-
60-69%	1200/-
70-100%	1800/-

हिंदी प्राज्ञ परीक्षा

प्राप्तांक का प्रतिशत	पुरस्कार राशि
55-59%	800/-
60-69%	1600/-
70-100%	2400/-

हिन्दी टंकक परीक्षा

प्राप्तांक का प्रतिशत	पुरस्कार राशि
90-94%	800/-
95-96%	1600/-
97-100%	2400/-

हिन्दी आशुलिपि परीक्षा

प्राप्तांक का प्रतिशत	पुरस्कार राशि
88-91%	800/-
92-94%	1600/-
95-100%	2400/-

नोटः निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर मेरिट नकद पुरस्कार का लाभ अन्य पुरस्कारों के अतिरिक्त मिलेगा।

निजी प्रयत्नों से हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त पुरस्कार

(प्राधिकार:रेलवे बोर्ड का पत्र सं.हिन्दी-2006/प्र.-10/11 दिनांक 04.10.2011)

परीक्षा	एकमुश्त पुरस्कार राशि
1.प्रबोध	1600/-
2.प्रवीण	1500/-
3.प्राज्ञ	2400/-
4.हिन्दी टंकक	1600/-
5.हिन्दी आशुलिपा	2400/-

राजभाषा नियमों के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें।
- परिपत्र/नोटिस/सामान्यआदेश/टेंडरनोटिस/परमिट/करार/संविदाएं आदि शत प्रतिशत द्विभाषी(अंग्रेजी-हिंदी में)जारी करें।
- पर्सनव कंम्पूटर में सारा काम-काज हिंदी में करें।
- निरीक्षण रपटें हिन्दी में दें।
- क और ख क्षेत्रों को भेजे जानेवाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में दें।
- देवनागरी टाइपराइटर का निर्धारित लक्ष्य पूरा करें।
- सेवा पंजिकाओं और रजिष्टरों में प्रविष्टयाँ हिन्दी में करें।
- विभागीय परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र में हिन्दी संबंधी प्रश्न भी दें तथा प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट भी दें।
- फाइलों पर टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखें।
- प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दें।
- बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त हिन्दी में जारी करें।
- हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लें।
- अधिकारी हिन्दी में डिक्टेशन दें।
- दौरा कार्यक्रम/यात्रा भत्ता बिल आदि हिन्दी में प्रस्तुत करें।
- स्वस्थता/ अस्वस्थता प्रमाण पत्र/ चिकित्सा प्रमाण पत्र हिन्दी में तैयार करें।
- प्रथम सूचना रपट/ चलान/ रोजनामचा हिन्दी में लिखें।
- गार्ड जर्नल हिन्दी में लिखें।
- इंजन विफलता रिपोर्ट हिन्दी में तैयार करें।
- खान पान रसीद/अतिरिक्त किराया रसीदें/पार्सल रवन्ने/मनी रसीदें/अमानती सामान घर रसीदें/बिस्तर रसीदें आदि हिन्दी में लिखें।
- समपार की गुमटिंयाँ आदि पर विवरण, चार्ट आदि हिन्दी में भी होनी चाहिए।
- जंक्शन पेटियों/ लोकेशन पेटियां/ बैटरी पेटियां पर विवरण हिन्दी में भी लिखें।
- 'ग' क्षेत्रों में स्टेशनों के नाम प्रादेशिक भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी, इस क्रम में लिखें।
- 'क' और 'ख' क्षेत्रों की ओर जाने वाले गाड़ियों से संबंधित पास.पी.टी.ओ.हिन्दी में तैयार करें।
- अनुशासनिक मामलों की कारवाई हिन्दी में करें।

क्या न करें

- पी.सी./ इलैक्ट्रॉनिक उपकरण केवल रोमन का न हो और न ही खरीदें।
- केवल अंग्रेजी में मानक और स्थानीय फार्मो का प्रयोग न करें।
- कोई भी रबड़ की मोहर/नाम,सूचना-पट्ट/नाम/ पदनाम बैज/धातु सील केवल अंग्रेजी में न बनवायें।
- विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में न दें।
- आरक्षण चार्ट केवल अंग्रेजी में जारी न करें।
- सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करनेवाले कर्मचारियों को हतोत्साहित न करें।
- हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कार्यालयों को फैक्स/तार संदेश केवल अंग्रेजी में न भेजें।
- परिपत्र/नोटिस/सामान्य आदेश/टेंडर नोटिस/करार/आदि केवल अंग्रेजी में जारी न करें।
- हिन्दी में प्राप्त या हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर केवल अंग्रेजी में न दें।